न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—168/2010/75 (2010/00014)

1. हरिकिशन पुत्र शान्ति प्रसाद, जाति ब्राहम्ण, निवासी मांगलियावास, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. प्रशासक, ग्राम पंचायत, मांगलियावास, तहसील व जिला अजमेर ।
2. राज्य सरकार ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प मांगलियावास दिनांक 28.3.1991.

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुभाष राजोजिरया, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 20.11.2020

1. यह अपील विद्वान आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 28.3.1991 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने कैम्प मांगलियावास में दिनांक 28.3.1991 को ग्राम मांगलियावास के आराजी खसरा नंबर 241 रकबा 21—5—10 गे0मु0 पठार भूमि को ग्राम पंचायत, मांगलियावास को आवंटन करने के आदेश पारित किये । आवंटन सलाहकार समिति के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थी/रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थन पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ निर्णरू दिनांक 4.8.1975 बउनवान सरकार बनाम शांतिप्रकाश जिसका सिविल केस नंबर 150/1973 है, की टाईपशुदा फोटो प्रति पेश की गई है । प्रत्यर्थी द्वारा उक्त मिसल की संपूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के यहां पर उक्त पत्रावली नहीं मिली है ।

संभवतया उक्त पत्रावली की प्रतिलिपि सीलिंग विभाग में हो सकती है । सीलिंग केस की पत्रावली वर्तमान प्रकरण के न्याय, निर्णयन हेतु अतिआवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सीलिंग प्रकरण संख्या 150/1973 बउनवान सरकार बनाम शांतिप्रकाश निर्णय दिनांक 4.8.1975 की पत्रावली तलब करने के आदेश प्रदान करावे ।

5. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस में कथन किया कि आराजी पुराना खसरा नंबर 241 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी वाके मौजा मांगलियावास तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जो अपीलांट के पिता शांतिप्रसाद पुत्र माधोप्रसाद की खातेदारी की भूमि है । अपीलांट के पिता का देहांत हो चुका है और अपीलांट उनका दत्तक पुत्र है । अपीलांट के पिता शांतिप्रसाद के विरूद्ध कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम एवं पुराने सीलिंग एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में मुकदमा चला था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने दिनांक 4.8.1975 को अपीलांट के पिता खातेदार के पास 54 एकड़ भूमि रखते हुए 43.19 एकड़ भूमि अधिक होने का आदेश दिया था तथा खातेदार अपीलांट को आप्शन पेश करने का अधिकार दिया था जिस पर अपीलांट के पिता ने खसरा नंबर 241 की भूमि अपने पास रखने के लिए उपखण्ड अधिकारी के समक्ष ऑप्सन पेश कर दिया था । इस प्रकार उक्त भूमि अपीलांट के पिता ने सरकार को सरेण्डर नहीं की थी तथा अपीलांट रिकार्डेड खातेदार की हैसियत से विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । विवादित भूमि सरकारी भूमि का भाग नहीं है लेकिन उपखण्ड अधिकारी, अजमेर आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 28.3.1991 को कैम्प मांगलियावास में आराजी खसरा नंबर 241 ग्राम पंचायत मांगलियावास को गलत रूप से आवंटन कर दी । आवंटन सलाहकार समिति ने विवादित आराजी आवंटन करने में भूल की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील एल0आर0एक्ट संख्या 105/1999 को राजस्व मण्डल अजमेर ने निस्तारण कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि बाद जांच आराजी खसरा नंबर 241 सीलिंग में अधिग्रहण शुदा आराजी नहीं पायी जावे तो उसे अपीलांट को खातेदारी भूमि माना जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे यदि सीलिंग में अधिग्रहण शुदा पाई जावे तो अधी0न्याया0 का आदेश बहाल माना जावे । अपीलांट ने आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार, पीसांगन द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 19.12.2013, भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर द्वारा जारी नकले नामांतकरण संख्या 48 व मिसल बंदोबस्त की प्रमाणित प्रतियां तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का पत्र दिनांक 9.12.2011 पेश किये थे । उक्त दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 241 अपीलांट के सीलिग प्रकरण में कभी भी सरकार के पक्ष में अवाप्त नहीं हुई एवं जो खसरे अवाप्ति में अपीलांट ने सरेण्डर किये थे उनका नामांतकरण संख्या 48 दिनांक 2.9.1977 में स्पष्ट उल्लेख है । तहसीलदार एवं भू–प्रबंध अधिकारी ने भी लिखित में इसे प्रमाणित किया है कि खसरा नंबर 241 कभी भी सरकार के पक्ष में अधिग्रहित नहीं हुआ है । खसरा नंबर 241 पुराना नया हाल खसरा नंबर 433, 540, 516, 517, 518, 525, 526 हरिकिशन मुतबन्ना शांतिप्रसाद जोशी, जाति ब्राहमण सा0दे0 के नाम अंकित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में खसरा नंबर 241 का आवंटन निरस्त मानकर उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि मानी जावे तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया उक्त आवंअन आदेश निरस्त किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नंबर 241 का किया गया आवंटन विधिसम्मत् है । अपीलांट शांतिप्रसाद का दत्तक पुत्र नहीं है क्योंकि उपाण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय मे चले प्रकरण संख्या 150/1975 में अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 4.8.1975 में हरिकिशन को शांतिप्रकाश का गोद पुत्र नहीं माना था । अपीलांट को गोदपुत्र नहीं मानने के विरूद्ध अपीलांट द्वारा आज तक कोई अपील पेश नहीं की गई है जिससे अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का उक्त निर्णय आज दिवस तक यथावत् है । अपीलांट हस्तगत अपील में स्वंय को उक्त शांतिप्रसाद जोशी का गोद अथवा दत्तक पुत्र बताकर उनकी सम्पति भूमि क्लेम कर रहा है वह प्रथमदृष्टया ही विधि विरूद्ध है । अतः अपीलांट को उक्त अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं है । यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने निर्णय दिनांक 4.8.1975 में कथित खातेदार शांति प्रसाद जोशी को उसके परिवार का एक ही सदस्य अर्थात् एक यूनिट मानकर निर्णय पारित किया है । माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान का पारित न्यायिक दृष्टांत 2012 आर0बी0जे0 पेज 644 हरिसिंह बनाम गणपतलाल में दिनांक 21.8.2017 में यह प्रतिपादित किया है कि राजस्व न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को गोद पुत्र होने की घोषणा करने का अधिकार नहीं है । यदि किसी राजस्व न्यायालय ने किसी व्यक्ति को गोद पुत्र होना निर्णित भी किया है तो वह निर्णय किसी भी अपीलीय न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है । अपीलांट ने स्वंय के गोद पुत्र होने के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया है । बहस में आगे कथन किया कि जहां तक अपीलांट का यह कथन कि उक्त निर्णय दिनांक 4.8.1975 में वर्णित खातेदार को ऑप्शन पेश करने का अधिकार दिया था जिस पर खसरा नंबर 241 भूमि उन्होंने अपने पास रखने का ऑप्शन उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के यहां पेश किया था तथा यह भूमि सरेण्डर नही की थी । परन्तु उपखण्ड अधिकारी के यहां उक्त खातेदार द्वारा पेश किया गया ऑप्शन का दस्तावेज सरेण्डर डीड या प्रार्थना पत्र न तो यहां पेश किया है न ही उक्त सरेण्डर अथवा ऑप्शन वाला प्रार्थना पत्र दस्तावेज वाली पत्रावली उपखण्ड अधिकारी से तलब की गई है । अतः रिकार्ड पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है जिससे स्पष्ट हो कि खसरा नंबर 241 ऑप्शन में सरेण्डर नहीं किया था । जो दस्तावेज अपीलांट द्वारा पेश किये जा रहे है वे सब राजस्व विभाग द्वारा बिना आधार के अपीलांट के गोदपुत्र नहीं होने के बावजूद उसके पक्ष में राजस्व रिकार्ड संधारित किया हुआ है जो आधारहीन होने पढ़े जाने योग्य नहीं है । खसरा संख्या 241 यदि ऑप्शन में सरेण्डर नहीं करने बाबत् लिखकर दिया होता हो वह दस्तावेज अवश्य ही पेश किया जाता बल्कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सरकारी भूमि ग्राम पंचायत मांगलियावास को आवंटित की थी । आवंटन के समय विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज नहीं थी । भू–प्रबंध विभाग को नामांतकरण खोलने का अधिकार न तो था न ही है क्योंकि आवंटन के समय उक्त भूमि सरकारी भूमि दर्ज थी जो सार्वजनिक उपयोग हेतु आवंटन की गई है । अपीलांट की अपील संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । सर्वप्रथम हम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से सीलिंग केस संख्या 150/73 सरकार बनाम शांतिप्रकाश जो कि दिनांक 4.8.1975 को निर्णित किया गया है, की

पत्रावली तलब करवाना चाहता है । इस संबंध में कथन किया गया है कि उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के यहां नहीं मिल रही है परन्तु प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रत्यर्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के यहां उक्त पत्रावली के संबंध में प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किये जाने के संबंध में तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा यह नोट कि उक्त पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है । विधि अनुसार जब प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का प्रावधान है तो आदेश 13 नियम 10 जा0दी0 के तहत किसी दस्तावेज अथवा पत्रावली को तलब नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया जाता है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी पुराना खसरा नंबर 241 रकबा 21–5–10 ग्राम मांगलियावास को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत मांगलियावास को दिनांक 28.3.1991 को आवंटित की गई है । राजस्व अभिलेख के अनुसार स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 28.3.1991 को बरवक्त आवंटन विवादित भूमि खसरा नंबर 241 सिवायचक दर्ज थी । विवादित भूमि सिवायचक होने से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में विधिवत् ग्राम पंचायत मांगलियावास को आवंटित की गई है । उक्त आवंटन आदेश विधिनुसार नहीं हो या अविधिक पूर्ण हो, ऐसी कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं की गई है अथवा बरवक्त आवंटन अपीलाधीन भूमि अपीलांट की खातेदारी की रही हो इस संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई है । अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट मृतक शांतिप्रसाद का गोदी पुत्र है परन्तु इस संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का गोद पुत्र होने बाबत् घोषणात्मक आज्ञाप्ति प्रस्तुत नहीं की गई है एवं न ही कोई पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत किया गया है । अपीलांट का यह कथन कि अपीलाधीन भूमि कभी भी सीलिंग में अवाप्त नही हुई न ही सरेण्डर की गई, भूमि गलत सिवायचक दर्ज हुई है । उक्त के संबंध में हस्तगत अपील में इस आशय का निर्णय नहीं हो सकता है । विवादित भूमि सीलिंग प्रकरण में तहत अवाप्त हुई अथवा नहीं या सीलिंग प्रकरण में सरेण्डर की गई या नहीं ? इस तथ्य का निर्धारण सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद के माध्यम से ही हो सकता है । वर्तमान अपील मात्र आवंटन के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें केवल मात्र आवंटन की वैधानिकता ही देखनी होती है । अपीलांट द्वारा आवंटन की वैधानिकता के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह साबित हो कि अपीलाधीन आवंटन आदेश अविधिक हो । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने अपील के तथ्यों को साबित करने मे पूर्णतया असफल रहा है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प मांगलियावास) द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 28.3.1991 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।